सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2014 / 00026

दर्ज तिथिः–09.01.2014

1. परमेश्वरी देवी पुत्री मुकनाराम
   जाति विश्नोई निवासी निकलंग नगर, बोर चारणान, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर

.............................वादीनी

बनाम

1. हरदास पुत्र मुकनाराम
2. सुगणी पत्नी राजूराम
3. हीरांदेवी पत्नी हरदास
   जाति विश्नोई निवासी निकलंग नगर, बोर चारणान, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर
4. हनुमानराम पुत्र ठाकराराम
5. नेनाराम पुत्र ठाकराराम
   जाति विश्नोई निवासी गडरा तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
6. गंगपुरी चेला शंकरपुरी कौम स्वामी साकिन भदराई तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

..........................असल प्रतिवादीगण

7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाडमेर

...........................तकमिली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री देवाराम चौधरी
श्री काछबाराम खोथ
प्रतिवादीः–श्री रामजीवण विश्नोई
श्री नारायण कुमावत
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–25.02.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक्क अन्तर्गत धारा–88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण हिन्दु विधि से शासित है जो मतवफी मुकना के वंशज है। वादिनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के संयुक्त व पैतृक खातेदारी की भूमि खेत खसरा संख्या [illegible] रकबा 02 बिस्वा खसरा संख्या 93 रकबा 17 बिस्वा ,खसरा संख्या [illegible] बीघा, खसरा संख्या 94 / 2 रकबा रकबा 24–13 बीघा कुल रकबा 219–[illegible] बीघा ग्राम लिकलंगनगर पटवार क्षेत्र बोर चारणान तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित है। उक्त [illegible] भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:22:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

प्रमेश्वारी बनाम हरदारा
2014/00026
मैन्युअल नंबर 292/2015
निर्णय दिनांकः 25.02.2025

वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मुतवफी मुकना के खातेदारी व कब्जे काश्त की थी। तथा मुकना के फौत होने पर वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 197 अकेले प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पति राजू व एलची पत्नी मुकनाराम के नाम से पारित किया गया जबकि वादीनी भी हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार मुकना की जायंदा पुत्री व विधिक वारिश होने के कारण वादीनी को भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पति राजु एवं ऐलची के साथ मुकना की फौतगी पर पारित नामान्तकरण संख्या 197 में राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार के रूप में अंकित करना था लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादिनी के अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाकर गलत नामान्तकरण पारित करवा लिया गया। वादीनी मुकना की विधिक जायन्दा पुत्री होने के कारण पैतृक संपति के अनुसार वादीनी का 7/27 हिस्से यानि रकबा 56—18 बीघा घोषित करने की विधिक अधिकारीणी है। वादीनी ने खसरों की मिसल बन्दोबस्त पेश की ।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में बाद विधिवत तामिल प्रतिवादी संख्या 01 से 6 उपस्थित न्यायालय होकर राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामे के अनुसार पटवार मण्डल बोर चारणान के खसरा संख्या 94/31.3874 है0, ग्राम निकलंग नगर के खसरा संख्या 92/0.0162 है0, खसरा संख्या 93/0.1376 है0, खसरा संख्या 94/2/3.9902 है0 कुल क्षेत्रफल 4.1440 है0 दोनों खातों के कुल रकबा 35.5314 है0 यानि रकबा 219—10 बीघा में से वादीनी को कुल रकबे में 25—00 बीघा भूमि देणी तय की गई है। उक्त खसरों में वादीनी का पहले से ही जमाबंदी में 1/27 हिस्सा यानि 8.13 बीघा दर्ज है जो जमीन रकबा 25 बीघा में से कम की जाए। वादीनी को वर्तमान में दर्ज रेकर्ड प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के हिस्से में से बराबर कम की जाकर रकबा 16—07 बीघा वादीनी को देणी है । राजीनामें में आगे लिखित कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजी वादीनी के नाम खसरा संख्या 93 व 94 में ही रहेगी। खसरा संख्या 92 94/2 में से वादीनी का नाम विलोपित रहेगा जो प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में रहेगा। इसी अनुसार वादिनी का हिस्सा घोषित करने हेतु राजीनामा प्रस्तुत कर सहमति पेश की है। प्रकरण में वादीनी व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद का कोई बिन्दु पत्रावली पर नहीं होने के कारण प्रकरण का प्रथम सुनवाई पर निर्णय किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादीनी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते आपसी राजीनामा/समझौता अनुसार निर्णय व डिक्री जारी करने का स्वीकार करने का मात्र दौहराते हुए आराजी पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित होने के आधार पर वादीनी व प्रतिवादी को राजीनामा अनुसार प्रतिवादी का हिस्सा घोषित किया जाने का निवेदन किया। वादीनी एवं प्रतिवादी गण मय अधिवक्ता द्वारा राजीनामा अनुसार हिस्सा घोषित करवाने पर अपनी लिखित सहमति के रूप में आदेशिका पर हस्ताक्षर किए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:22:28 IST
Reason: Self Attested

4. मैनें विद्वान अधिवक्ता वादीनी व प्रतिवादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में पेश राजीनामा अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

प्रमेश्वारी बनाम हरदास
2014 / 00026
मैन्युअल नंबर 292 / 2015
निर्णय दिनांकः 25.02.2025

7. प्रकरण में वादीनी द्वारा मुतनाजा आराजी पर वादीनी व प्रतिवादीगण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के तहत हिन्दू होने के कारण प्रकरण में सम्पति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधानों के तहत मुताबिक कानूनी हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। न्यायालय में वादीनी या प्रतिवादी राजीनामे के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत ही अनुतोष इकरार कर सकते हैं। प्रकरण में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 लागू होने तथा मुतनाजा आराजी प्रतिवादीगण की स्वअर्जित आराजी नहीं होकर पैतृक आराजी होने के आधार पर वादीनी का अनुतोष मुताबिक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के अनुसार हक हिस्से तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

8. अतः दावा वादीनी एवं प्रतिवादीगण 1 से 6 का हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत जरिये राजीनामा अनुसार उक्त आराजी पैतृक आराजी होने से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा अनुसार वादीनी व प्रतिवादीगण के हिस्से की घोषणा किया जाना न्यायोचित है। अतः

आदेश है कि

वादीनी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादीनी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 94 / 31.3874 है0, 92 / 0.0162 है0, 93 / 0.1376 है0, 94 / 2 / 3.9902 है0 कुल रकबा 35.5314 है0यानि रकबा 219–10 बीघा वाके ग्राम निकलंग नगर पटवार हल्का बोर चारणान तहसील धोरीमना में वादीनी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी में न्यायालय हाजा को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत वादीनी का खसरा संख्या 93 / 0.1376 है0, 94 / 31.3874 है0 कुल रकबा 31.5250 है0 यानि रकबा 194–15 बीघा वाके ग्राम निकलंग नगर पटवार हल्का बोर चारणान तहसील धोरीमना में 100 / 779 हिस्सा यानि रकबा 25 बीघा घोषित किया जाता है। वादिनी का राजस्व रेकर्ड में पहले से ही 1 / 27 हिस्सा यानि 8–13 बीघा दर्ज है शेष रकबा 16–07 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में से बराबर कम कर वादिनी के पक्ष रेकर्ड में दर्ज किया जावे तथा वादग्रस्त खसरा संख्या 94 / 2 / 3.9902 है0, 92 / 0.0162 है0 में वादीनी का नाम राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में विलोपित किया जाता है। वादीनी व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी में घोषित हक हिस्से तक संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:22:28 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

आज 25.02.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बाड़मेर

सहायक कलेक्टर
SDO धोरीमन्ना

परमेश्वरी बनाम हरदास
2014/00026
मैन्युअल नंबर 292/2015
निर्णय दिनांकः 25.02.2025

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–2014/00026 दर्ज तिथिः–09.01.2014

1. परमेश्वरी देवी पुत्री मुकनाराम
   जाति विश्नोई निवासी निकलंग नगर, बोर चारणान, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर
   ....वादीनी

बनाम

1. हरदास पुत्र मुकनाराम
2. सुगणी पत्नी राजूराम
3. हीरांदेवी पत्नी हरदास
   जाति विश्नोई निवासी निकलंग नगर, बोर चारणान, तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर
4. हनुमानराम पुत्र ठाकराराम
5. नेनाराम पुत्र ठाकराराम
   जाति विश्नोई निवासी गडरा तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
6. गंगपुरी चेला शंकरपुरी कौम स्वामी साकिन भदराई तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
   ....असल प्रतिवादीगण

7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार धोरीमन्ना जिला बाडमेर ....तकमिली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री देवाराम चौधरी
श्री काछबाराम खोथ
प्रतिवादीः–श्री रामजीवण विश्नोई
श्री नारायण कुमावत

Signature Not Verified

[illegible] वाद अन्तर्गत धारा–88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:22:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO धोरीमना

प्रमेश्वारी बनाम हरदास
2014/00026
मैन्युअल नंबर 292/2015
निर्णय दिनांकः 25.02.2025

—:पर्चा डिक्रीः—

निर्णय दिनांकः—25.02.2025

वादीनी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादीनी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 94/31.3874 है0, 92/0.0162 है0, 93/0.1376 है0, 94/2/3.9902 है0 कुल रकबा 35.5314 है0यानि रकबा 219—10 बीघा वाके ग्राम निकलंग नगर पटवार हल्का बोर चारणान तहसील धोरीमना में वादीनी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त आराजी में न्यायालय हाजा को प्रस्तुत राजीनामा अनुसार हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत वादीनी का खसरा संख्या 93/0.1376 है0, 94/31.3874 है0 कुल रकबा 31.5250 है0 यानि रकबा 194—15 बीघा वाके ग्राम निकलंग नगर पटवार हल्का बोर चारणान तहसील धोरीमना में 100/779 हिस्सा यानि रकबा 25 बीघा घोषित किया जाता है। वादिनी का राजस्व रेकर्ड में पहले से ही 1/27 हिस्सा यानि 8—13 बीघा दर्ज है शेष रकबा 16—07 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्से में से बराबर कम कर वादिनी के पक्ष रेकर्ड में दर्ज किया जावे तथा वादग्रस्त खसरा संख्या 94/2/3.9902 है0, 92/0.0162 है0 में वादीनी का नाम राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में विलोपित किया जाता है। वादीनी व प्रतिवादीगण को उक्त आराजी में घोषित हक हिस्से तक संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंद्राज दुरूस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

यह पर्चा—डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार धोरीमन्ना को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा—डिक्री आज दिनांक 25.02.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(भागीरथराम आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.06.06 16:22:28 IST
Reason: SelfAttested